न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 20/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/43)

आम जनता ग्राम ठेकडा व समलेटी तहसील महुवा जिला दौसा जरिये

1. राकेश मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना,
2. ओमप्रकाश पुत्र पून्याराम समस्त जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडा तहसील महुवा जिला दौसा।
3. सुगनलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम,
4. जितेन्द्र कुमार मीणा पुत्र मक्खनलाल मीणा, जाति मीना निवासी ग्राम समलेटी तहसील महुवा जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर दौसा।
2. भूमिधारक तहसीलदार तहसील महुवा, जिला दौसा ।
3. ग्राम पंचायत ठेकडा पंचायत समिति महुवा जिला दौसा जरिये सरपंच

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा क्रमांक आर.11 जीपी (63) 2016/7031 दिनांक 16.08.2016 जिसके द्वारा ग्राम ठेकडा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.74 है0 में से 0.04 है0 भूमि श्मशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक'–24.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 16.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ठेकडा पं0स0 महवा की मॉग एवं अनापत्ति के आधार पर तहसीलदार महवा ने अपने पत्र क्रमांक 1396 दिनांक 04.07.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी महवा के पत्र क्रमांक 1405 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा ग्राम ठेकडा तहसील महवा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.74 है0 में से 0.04 है0 भूमि सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रेषित किया गया। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ठेकडा पं0 स0 महवा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 8.1.2016 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है। जिला कलक्टर दौसा के आदेश क्रमांकः आर11जीपी(63) 2016/7031 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत ठेकडा पं.स. महवा की अनापत्ति एवं मांग तथा तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(3)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

राज–6/2001/5 दिनांक 26.06.2013 एवं पत्र क्रमांक प.6(12)राज–6/92/21 दिनांक 23.12.93 में अंकित निर्देशों के परिपेक्ष्य में ग्राम ठेकडा तहसील महवा स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.74 है0 में से 0.04 है0 की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम–7 यथा यथासंशोधित के अनुसरण में चरागाह से खारिज करते हुये बिना चरागाह की क्षतिपूर्ति किये ही जनहित में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0 मु0 श्मशान दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 16.08.2016 के उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट राकेश मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना वगै0 द्वारा यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 16.08.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ तहसीलदार महुवा द्वारा बिना कोई जांच किये तथा मौके की जांच किये बिना ग्राम पंचायत की अनापत्ति लेकर मौके के विपरीत प्रस्ताव बना दिया तथा अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महुवा द्वारा भी मौके के प्रतिकूल एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में जांच किये बिना प्रस्ताव एवं अभिशंषा अधिनस्थ जिला कलेक्टर दौसा को भिजवा दी तथा जिला कलेक्टर दौसा द्वारा भी बिना कोई जांच रिपोर्ट मंगवाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2016 पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 0.74 है0 भूमि के आस पास अन्य लोगों की खातेदारी भूमि है तथा अपीलान्टस की भूमि भी उक्त खसरा नम्बर 143 के लगते हुए है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर लोगों ने अपने निवास हेतु मकान आदि बना रखे है। गांव एवं आस–पास के अन्य गांवों के पशु उक्त चारागाह भूमि में चरने के लिए आते है तथा चारागाह भूमि पशुओं के लिये काम में आती चली आ रही है तथा आस पास के क्षेत्र में आबादी बसी हुई है फिर भी तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी ने बिना किसी जांच के सरसरी तौर पर अभिशंषा भिजवा दी तथा जिला कलेक्टर दौसा द्वारा बिना कोई जांच किये उक्त भूमि में 0.04 है0 भूमि श्मशान हेतु आरक्षित कर दी जबकि काननून आबादी के पास श्मशान नहीं बनाये जा सकते हैं। ग्राम ठेकडा में पूर्व से ही श्मशान घाट बने हुए हैं जो अलग से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 188 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नम्बर 189 रकबा 0.13 है0 भूमि गैर मुमकिन मरघट के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा गांव के व्यक्तियों के अन्तिम संस्कार उक्त भूमि में किये जाते है तथा मृत व्यक्तियों को पूर्व से मौजूद मरघट में दाह संस्कार किया जाता है फिर भी पूर्व से भूमि मौजूद

होते हुए भी योग्य अधिनस्थ जिला कलेक्टर दौसा द्वारा नवीन श्मशान दर्ज के आदेश पारित किये हैं।

6. अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अधिनस्थ जिला कलेक्टर दौसा द्वारा श्मशान हेतु आरक्षित व सैट अपार्ट की गई भूमि मात्र 0.04 है0 भूमि है जो किसी भी प्रकार से श्मशान हेतु फिजिबल नहीं है व श्मशान के प्रयोग हेतु बहुत ही कम भूमि है जिस पर भौतिक रूप से श्मशान के कार्य में लिया जाना असम्भव है जबकि ग्राम ठेकडा में पूर्व से ही खसरा नम्बर 188 व 189 में एक बीघा भूमि मरघट के रूप में काम आ रही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है फिर भी इस तथ्य पर भी जिला कलेक्टर दौसा द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि कानून यदि किसी चारागाह भूमि अन्य प्रयोजन के लिए आरक्षित की जाती है तो उसके बदले अन्य सिवायचक भूमि चारागाह में दर्ज करने हेतु क्षतिपूर्ति की जाती है किन्तु इस प्रकरण में जिला कलेक्टर दौसा द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की गई है जिस कारण कानूनी प्रक्रिया के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्टस को पूर्व में किसी प्रकार से नहीं थी। किन्तु दिनांक 14.03.2022 को मौके पर राजस्व कर्मचारी उक्त भूमि पर नाप जोख कर रहे थे तो अपीलान्ट नं. 1 ने उनसे पूछा तो हल्का पटवारी ने बताया कि इस भूमि में कलेक्टर साहब ने सन् 2016 में ही श्मशान हेतु भूमि अलॉट कर दी है तथा इसका नामान्तरकरण भी खुल गया है जिस पर अपीलान्ट्स ने तहसील कार्यालय में जाकर मालूम कर नकल हेतु आवेदन किया तो उसी दिन वहां पर नामान्तरकरण की नकल मिली तथा नामान्तरकरण से आदेश की जानकारी कर जिला रिकॉर्ड रूम रूम से अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 21.03.2022 को आवेदन किया जो नकल दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त हुई। इस नकल प्राप्ति से सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आरक्षित भूमि चारागाह से सैट अपार्ट की गई है तथा उक्त भूमि के आस पास अपीलांटस की खातेदारी भूमि है तथा निवास हेतु मकान बना रखे हैं तथा भूमि सार्वजनिक रूप से गांव ठेकडा एवं समलेटी के लोगों के पशुओं के चरने के काम आती है जिसका सार्वजनिक उपयोग लोगों के लिए होता है जिस कारण योग्य अधिनस्थ जिला कलेक्टर दौसा के आदेश से अपीलांटस प्रभावित एवं पीडित पक्षकार है। जिस कारण अपील पेश करने के अधिकारी है इस हेतु अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

8. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है।

अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर दौसा के आदेश क्रमांकः आर11जीपी(63)2016/7031 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत ठेकडा पं.स. महवा की अनापत्ति एवं मांग तथा तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(3) राज–6/2001/5 दिनांक 26.06.2013 एवं पत्र क्रमांक प.6(12)राज–6/92/21 दिनांक 23.12.93 में अंकित निर्देशों के परिपेक्ष्य में ग्राम ठेकडा तहसील महवा स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.74 है0 में से 0.04 है0 की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम–7 यथा यथासंशोधित के अनुसरण में चारागाह से खारिज करते हुये बिना चारागाह की क्षतिपूर्ति किये सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0 मु0 श्मशान दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं जबकि कानूनन यदि किसी चारागाह भूमि अन्य प्रयोजन के लिये आरक्षित की जाती है तो उसके बदले अन्य सिवायचक भूमि में से चारागाह भूमि का कम हुऐ रकबे की क्षतिपूर्ति की जाती है किन्तु हस्तगत प्रकरण में जिला कलेक्टर दौसा द्वारा कम हुऐ चारागाह भूमि के रकबे बिना क्षतिपूर्ति किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2016 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसे में चारागाह भूमि से कम हुऐ रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु प्रकरण जिला कलक्टर दौसा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर आवंटित चारागाह भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।